


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग


:: अधिसूचना ::
(शुद्धिपत्र)

पटना-15, दिनांक 21/12/18

संख्या-7/स्था0-1-3-03/2005 सा0प्र0/16825/श्री हरेन्द्र नाथ तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर, डॉ० रतन किशोर तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगंज तथा श्री अरुणेन्द्र सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा को क्रमशः प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मधुबनी, जमुई तथा बेगूसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है तथा विभागीय अधिसूचना संख्या-16683, 16684 तथा 16685 दिनांक 20.12.2018 द्वारा "जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए" शब्द को विलोपित किया जाता है। तदनुसार पूर्व की अधिसूचना संख्या-16683, 16684 तथा 16685 दिनांक 20.12.2018 संशोधित समझी जाय। शेष यथावत रहेंगे।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शिवमहादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-1-3-03/2005 सा0प्र0/16825/पटना-15, दिनांक 21/12/18.
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।


(शिवमहादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-1-3-03/2005 सा0प्र0/16825/पटना-15, दिनांक 21/12/18.
प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, किशनगंज, जमुई, दरभंगा, बेगूसराय/संबंधित सभी न्यायिक पदाधिकारी एवं आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित


(शिवमहादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।